संख्या- 9 /1654(1)/26-3-2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक(एस0सी0डी0),
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, छठी मंजिल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर, 2013

विषय- उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक-27 पर अंकित Dhangar जाति की हिन्दी वर्तनी के परिप्रेक्ष्य में रिट याचिका संख्या 40462/2009 आल इण्डिया धनगर समाज महासभा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-03-2012 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-6/Inclusion&Exclusion/2012/SSW-I दिनांक 16-01-2013, जो निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय लखनऊ को संबोधित एवं सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन एवं आपको पृष्ठांकित है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित

http://shasanadesh.up.nic.in

जाति आयोग द्वारा संदर्भगत प्रकरण में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कृपया भारत सरकार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 की अनुसूची-1 के भाग-18-उत्तर प्रदेश की प्रविष्टि संख्या 27 में प्रयुक्त शब्द धंगड़ के स्थान पर शब्द धनगर रखने हेतु आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करने एवं लिये गये निर्णय से उत्तर प्रदेश शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in